



थाना सदर बाजार



शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य - दिनांक 23-02-2025

“घटना का अनावरण करते हुये सदर बाजार पुलिस द्वार एक नफर अभियुक्त को मय चोरी किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया ”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन में चोरी/ लूट की घटनाओं के रोकथाम एवं पूर्व में हुई घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 15-01-2025 को रामनगर कालोनी में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 13-02-2025 को SCRB लखनऊ से प्राप्त e-Fir थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 83/2025 धारा 305(2) बीएनएस वादी श्री विकास कुमार शुक्ला पुत्र हंसराम शुक्ला निवासी देवकी नन्दन गेरा रामनगर कालोनी, थाना सदरबाजार जनपद शाहजहाँपुर बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था । घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा मखुबिर की सूचना पर दिनांक 23-02-2025 को अभियुक्त सलमान पुत्र फारुक नि0मो0 वाडूजई पेशावरी हाल पता निगोही रोड बालाजी मन्दिर के पास सैनिक कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 07.42 बजे इमली रोड तिराहा से वीर अब्दुल हमीद चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से गुलाबी रंग के कैरी बैग में रखा एक लैपटाप कम्पनी डेल, एक आई पैड कम्पनी एप्पल एवं एक लैपटाप कम्पनी डेल, एक आई पैड कम्पनी एप्पल एवं एक एण्ड्रॉयड मोबाईल फोन REDMI बरामद हुये, जो कि मु0अ0सं0 83/2025 से सम्बन्धित हैं जिनका वादी मुकदमा द्वारा शिनाख्त किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

***उल्लेखनीय है कि अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गयी मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस को अभियुक्त आमान पुत्र इशारार निवासी मोहल्ला बाडूजेई पेशावरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर के कब्जे से दिनांक 21-02-2025 को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।**

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1.सलमान पुत्र फारुक नि0 मोहल्ला बाडूजेई पेशावरी हाल पता निगोही रोड बालाजी मन्दिर के पास सैनिक कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग :-

मु0अ0सं0 83/2025 धारा 305(a),317(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

इमली रोड तिराहा से वीर अब्दुल हमीद चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर समय करीब 07.42 बजे

बरादमगी :-

1. अदद आईपैड कम्पनी एप्पल,
2. एक अदद लैपटाप कम्पनी डेल
3. एक अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन कम्पनी Redmi

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान
2. उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह
2. आरक्षी 2282 अंकुर मलिक

गिरफ्तारी पूछताछ :- अभि0 सलमान ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं व मेरा साथी आमान उपरोक्त दोनो साथ में शराब पीते हैं निजी शौक पूरा करने के लिए हम दोनो ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया । मो0 रामनगर शाहजहाँपुर के एक मकान में अन्दर घुस गये तथा मकान व कमरे के अन्दर से एक मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP31AQ4711, दो एप्पल कम्पनी के आई-पैड, एक लैपटाप व एक मोबाईल चुरा कर निकल लिये , मोटर साइकिल मेरा साथी आमान अपने साथ ले गया तथा शेष दो आई पैड, एक लैपटाप एक मोबाइल व पर्स आदि मैं लेकर चला गया था । मुझ पैसे की जरूरत थी जिस कारण एक आई पैड कम्पनी एप्पल को मैंने राह चलते व्यक्ति को पाच हजार रुपये ने बेच दिया, उस पैसे से हम दोनो ने अपना निजी शौक पुरा किया था , निजी शौक में सभी पैसे खर्च हो गये , आज मैं एक आईपैड , एक लैपटाप व एक एण्ड्रायडल मोबाइल फोन को गिरफ्तारी से बचने के लिए जा रहा था कि आपने पकड लिया ।